

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-II/1431 दिनांक :- 15/07/25

कार्यालय आदेश

श्रीमती विनिता चारण, कनिष्ठ लेखाकार रोल नं.-703753 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय तहसीलदार परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन के पत्र क्रमांक 254 दिनांक 21.05.2025 के साथ अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 15.04.2025 से 22.04.2025 तक कुल 08 दिवस

उक्त 08 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती विनिता चारण, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-II/1431 दिनांक :- 15/07/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय तहसीलदार परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्रीमती विनिता चारण, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) तहसीलदार परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)